भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2281
दिनांक 12 फरवरी, 2026

पेट्रोलियम उत्पादों में योजक

†2281. **डॉ. थोल तिरूमावलवनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाए जाने वाले पेट्रोल और डीजल जैसे योजकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाए जाने वाले इन योजकों के कारण होने वाले उत्सर्जन से मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खतरों/दुष्प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): भारत में बिकने वाले पेट्रोल और डीज़ल, पेट्रोल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देश आईएस 2796 और आईएस 17021 और हाई स्पीड डीज़ल के लिए आईएस 1460 का अनुपालन करते हैं, क्रमश: जो पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली वाहनों के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए ईंधन की गुणवत्ता की ज़रूरतों को सख्ती से विनियमित करते हैं। पेट्रोल में योजक अर्थात संक्षारण अवरोधक और बहुक्रियाशील योजक (एमएफए) और डीज़ल में अर्थात सीटेन सुधारक और चिकनाई बढ़ाने वाले का इस्तेमाल इष्टतम डोज़ में किया जाता है ताकि आईएस 17021 और आईएस 2796 (पेट्रोल के लिए) और आईएस 1460 (डीज़ल के लिए) विनिर्देश को पूरा किया जा सके। बीआईएस मानक के अनुसार, इंजनों में पर्याप्त ईंधन प्रणाली और इनटेक प्रणाली स्वच्छता निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए योजकों के उपयोग की आवश्यकता है।

ईंधन में योजकों के इस्तेमाल की सलाह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के बाद ऐसे योजकों से युक्त ईंधन के संबंध में "पेट्रोल और डीज़ल के लिए योजकों का परीक्षण के लिए योजनाओं का संग्रह" (संशोधित संस्करण 2019) के प्रोटोकॉल के मुताबिक इंजन और गाड़ियों के उत्सर्जन का विस्तृत अध्ययन करने के बाद दी जाती है। यह अध्ययन ऐसे ईंधन पर किया जाता है जिसमें योजक हों और इससे मानव और पशुओं पर ज्ञात किसी प्रतिकूल स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का पता नहीं चला है।
